न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी – श्री सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या –18/2019

दायर दिनांक – 22.11.2019

निर्णय दिनांक – 27.10.2021

जीसीएमएस नं0 – 2019/00049

प्रार्थी

1. श्री दीपक सिंह पुत्र श्री जायन्दा, पुत्र श्री रंगलाल, दत्तक पुत्र श्री मोहन रावत निवासी कानस तहसील पुष्कर जिला अजमेर।

बनाम

अप्रार्थी गण

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर जिला अजमेर।
2. श्री रंगलाल पुत्र स्व. श्री हीरा
3. श्री महेन्द पुत्र स्व. श्री खेता
4. श्रीमती गंगा देवी पत्नी श्री खेता समस्त जाति रावत निवासी कानस तहसील पुष्कर जिला अजमेर।

अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पुष्कर (अजमेर)

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 132 व 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति– 1. श्री राजेन्द्र सिहं रावत, अधि0, प्रार्थीगण
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार पुष्कर

–: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–132 सपठित धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत ग्राम कानस तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित खातेदारी कृषि भूमि के वर्तमान जमाबन्दी के खात सं. 178, 179, 180, के खसरान में अंकित [illegible] पुत्र [illegible] लाल के वारिसान के नाम नामान्तकरण सं. 45 दिनांक 27.05.1992 के अनुसार [illegible] करने एवं प्रार्थी दीपक सिंह दत्तक पुत्र मोहन का राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज किये [illegible] हेतु प्रस्तुत किया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.12.02 10:43:29 IST
Reason: SelfAttested

23.10.21
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। जिसकी अनुपालना में अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 04 के खिलाफ दिनांक 19.02.2020 को एकपक्षीय अमल में लायी गई तथा तहसीलदार, पुष्कर द्वारा हाजिर होकर जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया गया। इस संबंध में पैरोकार सरकार/तहसीलदार द्वारा पत्र क्रमांक/तह.पुष्कर/कोर्ट/2021/2130 दिनांक 14.10.2021 द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र में कथन किया कि " प्रार्थना–पत्र की बिन्दु संख्या 02 में ग्राम कानस की वर्किंग जमाबंदी के खाता संख्या 105, 184 व 54 में वर्किंग खसरा नम्बरान का मिसल बदोबस्त के अनुसार मिलान क्षेत्रफल निम्नानुसार है।

हाल		साबिक	
ख.न.	क्षेत्रफल	ख.न.	क्षेत्रफल
669	0.10	750	0.01
		751	0.01
		744 मी.	0.06
		745	0.01
		800 मी.	0.01
672	0.04	744 मी.	0.01
		747 मी.	0.01
		749 मी.	0.02
671	0.02	747 मी.	0.02
673	0.04	747 मी.	0.02
		749 मी.	0.02
670	0.01	747 मी.	0.01
674	0.03	747 मी.	0.02
		746	0.01
675	0.08	744 मी.	0.01
		747 मी.	0.01
		749 मी.	0.05
		748	0.01
677	0.02	522	0.01
		523 मी.	0.01
678	0.03	523 मी.	0.03
679	0.07	521	0.01
		[illegible]	0.01
		[illegible] मी.	0.05
659	0.11	[illegible]	0.01
		[illegible]	0.10
441	0.08	795 मी.	0.08

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.12.02 10:43:29 IST
Reason: SelfAttested

22.10.21
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर

442	0.08	795 मी. 795 मी.	0.04 0.04
443	0.08	798 मी.	0.08
377	0.02	375	0.02
626	0.08	592 मी.	0.08
628/1361	0.14	592	0.14

राजस्व ग्राम कानस की वर्किंग जमाबन्दी संवत् 2041 के खाता संख्या 105 में कुल खसरा किता 11 कुल रकबा 03 बीघा 11 बीस्वा पर जमाबन्दी के कॉलम 4 में देवा हीरा मंगला पिसरान भैरू खेता कूका रंगलाल पपू पिसरान हीरा उदा वल्द भोमा अणदा वल्द दूला कौम रावत सा. देह खातेदार के नाम दर्ज है। जिसमें नामा. सं. 45 दिनांक 27.05.1992 का नोट जमाबंदी में नहीं लगा हुआ है। तथा खाता संख्या 184 में कुल खसरा किता 02 कुल रकबा 1 बीघा 9 बीस्वा पर जमाबंदी के कॉलम संख्य 4 में खेता, रंगलाल, पल्ला, सोहन उर्फ कूका पिसरान हीरा उदा वल्द भोमा पुरा वल्द मुकना कौम रावत सा. देह खातेदार के नाम दर्ज है। जिसमें नामा. सं. 45 दिनांक 27.05.1992 का नोट जमाबंदी में नहीं दर्ज है। खाता संख्या 54 में कुल खसरा किता 6 कुल रकबा 1 बीघा 7 बीस्वा पर जमाबंदी के कॉलम संख्या 4 में धन्ना बीरमा छोगा पिसरान गोमा उगमा उदा मला छोटू पिसरान लाडू छीतर वल्द दुला मल्ला वल्द घीसा करणा वल्द गोमा, माना वल्द गोमा कौम रावत साकिन देह खातेदार के नाम दर्ज है। जिसमें नामा संख्या 45 दिनांक 27.05.1992 का नोट जमाबंदी में नहीं है। प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 7 में वर्तमान जमाबंदी के खाता संख्या 178, 179, 180 में हीरा पुत्र हालू के वारिसान के नाम सही करने हेतु वाद पत्र में उल्लेख किया गया है। जबकि ग्राम कानस की वर्तमान जमाबन्दी के खाता संख्या 178 में खातदार पप्पू पुत्र अमरा हिस्सा पूर्ण जाति रावत सा. देह खातेदार के नाम दर्ज है। तथा खाता संख्या 180 में खातेदार पांची पत्नी देवी हिस्सा पूर्ण जाति रावत सा. देह खातेदार के नाम दर्ज है। खाता संख्या 179 ऑनलाईन जमाबन्दी में शॉ नहीं हो रहा है। ग्राम कानस की वर्तमान जमाबन्दी के खाता संख्या 31 खसरा नम्बर 678, 679 में तथा खाता संख्या 32 खसरा नम्बर 659 तथा खाता संख्या 321 में खसरा नम्बर 441, 442, 443 में अन्य सहखातेदारान के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। तथा वर्तमान जमाबन्दी के खाता संख्या 73 में खसरा नम्बर 669, 671, 672, 675 में हीरा के वारिसान सहखातेदार के रूप में दर्ज है। तथा खाता संख्या 268 खसरा नम्बर 377, 626, 628/1361 हीरा के वारिसान के नाम सहखातेदारी में दर्ज है। तथा खाता संख्या 396 में खसरा नम्बर 670, 673, 674, 677 सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार दिल्ली के नाम दर्ज है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 02 में वर्णित जमाबन्दी के खाता संख्या 105, 184, 54 में कही पर भी नामा. सं. 45 दिनांक 27.05.1992 का उल्लेख नहीं है। राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार पूर्व व वर्तमान जमाबन्दी में प्रार्थी दीपकसिंह दत्तक पुत्र मोहन का राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज किया जाना न्यायोचित नहीं हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pinder
Date: 2021.12.02 10:43:29 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभयपक्षकारान की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों यथा – तहसीलदार पुष्कर की रिपोर्ट, जमाबंदी की नकल एवं अन्य संलग्न दस्तावेजों से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि ग्राम कानस तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि

23.10.21
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर

भूमि की वर्किंग जमाबन्दी के खाता संख्या 105, 184, 54 में कही पर भी नामा. सं. 45 दिनांक 27.05.1992 का उल्लेख नहीं है। राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार पूर्व व वर्तमान जमाबन्दी में प्रार्थी दीपकसिंह दत्तक पुत्र मोहन का राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज किया जाना न्यायोचित नहीं हैं।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 132, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकार/खारिज किया जाता है। **राजस्व ग्राम कानस तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि के** की वर्किंग जमाबन्दी के खाता संख्या 105, 184, **54** में कही पर भी नामा. सं. 45 दिनांक 27.05.1992 का उल्लेख नहीं है। राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार पूर्व व वर्तमान जमाबन्दी में प्रार्थी दीपकसिंह दत्तक पुत्र मोहन का राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज किया जाना न्यायोचित नहीं होने के **कारण प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना संभव नहीं हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।**

निर्णय आज दिनांक 27.10.2021 को मेरे द्वारा सरे–इजलास सुनाया गया।

27.10.21

सुखाराम पिण्डेल
उपखण्ड अधिकारी
(आर.ए.एस)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.12.02 10:43:29 IST
Reason: SelfAttested